Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 132–2019/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 5, 2019 (SRAVANA 14, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 5th August, 2019

No. 32–HLA of 2019/71/11960.— The Motor Vehicles (Haryana Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 32— HLA of 2019

THE MOTOR VEHICLES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Motor Vehicles Act, 1988 in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Motor Vehicles (Haryana Amendment) Act, 2019. Short title.

2. For clause (h) of sub-section (2) of section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988, the following clause shall be substituted, namely:- Amendment of section 65 of Central Act 59 of 1988.

"(h) the exemption of prescribed persons or prescribed classes of persons from payment of all or any portion of the fee payable under this Chapter retrospectively or prospectively;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988, every transport vehicle is required to have certificate of fitness issued by the prescribed authority. In exercise of the powers conferred by section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988, the State Government framed rule 42 of the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 regarding charging of penalty in addition to the fee prescribed for the grant and renewal of certificate of fitness under rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 for vehicles remained without fitness. The penalties to be charged under the said rule are as under:-

(i)	Light Motor Vehicle	Rs. 25 per month or part thereof
(ii)	Medium Goods/Passenger Motor Vehicle	Rs. 25 per month or part thereof
(iii)	Heavy Goods/Passenger Motor Vehicle	Rs. 50 per month or part thereof

Ministry of Road Transport & Highways, Government of India vide notification dated 29.12.2016 specified that an additional fee of fifty rupees for each day of delay after expiry of the certificate of fitness shall be levied. At present, this additional fee is charged for each day of delay after expiry of the certificate of fitness.

Clause (h) of section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 empowers the State Government for the exemption of prescribed persons or prescribed classes of persons from payment of all or any portion of the fees payable under Chapter IV of the Motor Vehicles Act, 1988. No such rules have been formulated so far by the State Government. Hence, at present, no exemption from the fee chargeable under chapter IV of the Motor Vehicles Act, 1988 can be given to any person or class of persons

The powers conferred under Clause (h) of section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 do not empower the State Government to make the rules retrospectively. It was accordingly felt that in order to provide relief to the auto rickshaw owners and other similar categories who are not able to get the fitness certificate of their vehicles in view of arrears of penalty of fitness, the required rules should be made for which powers to make rules for grant of exemption to all or any portion of the fee leviable under Chapter IV of the Motor Vehicles Act, 1988 including the additional fee to be charged for delay after expiry of the certificate of fitness in retrospective or prospective manner be given to State Government.

KRISHAN LAL PANWAR,
Transport Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 5th August, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

/प्राधिकृत अनुवाद/

2019 का विधेयक संख्या 32—एच०एल०ए०

मोटर यान (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019
मोटर यान अधिनियम, 1988, हरियाणा राज्यार्थ, को
आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59 की धारा 65 का संशोधन।

2. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ज) इस अध्याय के अधीन भुगतानयोग्य सभी फीसों या उनके किसी भाग के भुगतान से विहित व्यक्तियों या व्यक्तियों के विहित वर्गों को भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव से छूट;''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अनुसार प्रत्येक परिवहन वाहन के पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 65 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 81 में फिटनेस प्रमाण पत्र को जारी तथा नवीनीकरण करने हेतु निर्धारित किए गए शुल्क के अतिरिक्त शास्ति लेने हेतु हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 का नियम 42 बनाया। उक्त नियम के तहत ली जाने वाली शास्तियाँ निम्न प्रकार से है:–

(i)	हल्के मोटर वाहन	रुपए 25 प्रति माह या उसका भाग।
(ii)	मध्यम माल/यात्री मोटर वाहन	रुपए 25 प्रति माह या उसका भाग।
(iii)	भारे माल/यात्री मोटर वाहन	रुपए 50 प्रति माह या उसका भाग।

सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि1183(अ) दिनांक 29.12.2016 द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति पर 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क प्रत्येक दिन की देरी के लिए विर्निदिष्ट किया है। वर्तमान में फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति पर प्रतिदिन की देरी के लिए 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क प्रभारित किया जाता है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 65 का खण्ड (ज) राज्य सरकार को विहित व्यक्तियों या व्यक्तियों के विहित वर्गों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय IV के तहत देय शुल्कों से छूट प्रदान करने की शक्तियां देता है। इस तरह के कोई भी नियम अभी राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाए गए है। अतः वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय IV के तहत देय शुल्कों में छूट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को नहीं दी जा सकती।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 65 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियाँ राज्य सरकार को भूतलक्षी प्रकार से नियम बनाने हेतु सशक्त नहीं करती। तदानुसार यह महसूस किया गया कि ऑटो रिक्शा मालिकों तथा अन्य समरूप श्रेणीयाँ, जो फिटनेस की शास्ति के बकाया के कारण अपने वाहनों की फिटनेस करवाने के योग्य नहीं है को राहत प्रदान करने हेतु नियम बनाए जाऐं जिसके लिए राज्य सरकार को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय IV के तहत देय शुल्कों जिसमें फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद देरी के लिए ली जाने वाली अतिरिक्त शुल्क सम्मिलित है, से भूतलक्षी तथा भविष्यलक्षी प्रभाव से छूट प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदान की जाएं।

कृष्ण लाल पंवार,
परिवहन मन्त्री, हरियाणा ।

चण्डीगढ़:
दिनांक 5 अगस्त, 2019.

आर०के० नांदल,
सचिव।

57261—H.V.S.—H.G.P. Chd.